International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 16 Issue 02, February 2026,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णित नारी की आर्थिक स्थिति

सरिता आर्य, एसोसिएट प्रोफेसर
संस्कृत-विभाग पण्डित चिरञ्जीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय,करनाल
संजीव कुमार, सहायक प्राध्यापक
संस्कृत-विभाग पण्डित चिरञ्जीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय,करनाल

सार (Abstract)

प्राचीन भारतीय इतिहास में नारी की आर्थिक स्थिति का अध्ययन सामाजिक संरचना एवं राज्य व्यवस्था को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रस्तुत शोध-पत्र में कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के आधार पर नारी की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है। अर्थशास्त्र में स्त्रियों को केवल पारिवारिक इकाई तक सीमित न मानकर उन्हें आर्थिक गतिविधियों का सक्रिय अंग माना गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियों को स्त्रीधन के रूप में संपत्ति रखने का अधिकार प्राप्त था, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा का आधार था। इसके अतिरिक्त, अनेक स्त्रियाँ सूत कातने, गणिका कार्य, सेवा, गुप्तचर गतिविधियों तथा अन्य व्यवसायों के माध्यम से स्वतंत्र रूप से आजीविका अर्जित करती थीं। विशेष रूप से विधवा, वृद्धा एवं आश्रित स्त्रियों के लिए राज्य द्वारा रोजगार की व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा को भी दर्शाती है। कौटिल्य का दृष्टिकोण व्यावहारिक एवं राज्य-केंद्रित था, जिसमें स्त्रियों के श्रम, आय तथा सुरक्षा के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए थे। हालांकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण स्त्रियों की स्वतंत्रता पूर्णतः स्वायत्त नहीं थी, फिर भी उन्हें आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इस प्रकार, अर्थशास्त्र नारी की आर्थिक स्थिति को समझने हेतु एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो यह दर्शाता है कि मौर्यकालीन समाज में स्त्रियाँ सीमित किन्तु सशक्त आर्थिक भूमिका निभाती थीं।

मूल शब्द: वैदिक साहित्य ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद अर्थशास्त्र कौटिल्य स्त्रीधन

भूमिका (Introduction)

प्राचीन भारतीय समाज में नारी की स्थिति एक जटिल एवं बहुआयामी विषय रही है, जो विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों में निरंतर परिवर्तनशील रही। नारी की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति को समझे बिना किसी भी युग की समग्र सामाजिक संरचना का आकलन संभव नहीं है। विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से नारी की स्थिति का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि समाज में उसकी भूमिका कितनी सक्रिय, स्वतंत्र अथवा नियंत्रित थी। प्रारंभिक वैदिक काल में नारी को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। वह न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी, बल्कि शिक्षा एवं आर्थिक गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभाती थी। स्त्रियाँ कृषि, पशुपालन, वस्त्र निर्माण तथा अन्य उत्पादन कार्यों में पुरुषों के साथ समान रूप से सहभागी थीं, जिससे यह स्पष्ट होता

है कि उस समय उनकी आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत सुदृढ़ थी।[i] किन्तु उत्तर वैदिक काल में सामाजिक एवं आर्थिक संरचना में परिवर्तन के परिणामस्वरूप नारी की स्थिति में क्रमशः गिरावट दृष्टिगोचर होती है। इस काल में पितृसत्तात्मक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हुआ तथा स्त्रियों को मुख्यतः गृहस्थ जीवन तक सीमित कर दिया गया। बाल विवाह, बहुविवाह तथा कन्या जन्म के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण जैसी प्रवृत्तियों ने नारी की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। उपनिषदों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि यद्यपि इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, फिर भी कुछ विदुषी स्त्रियाँ जैसे गार्गी एवं मैत्रेयी ने बौद्धिक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। छांदोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषदों में इन विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जो यह संकेत करता है कि शिक्षा एवं ज्ञान के क्षेत्र में स्त्रियों की सहभागिता पूर्णतः समाप्त नहीं हुई थी। बौद्ध एवं जैन साहित्य में नारी की स्थिति अपेक्षाकृत उन्नत दिखाई देती है। बौद्ध ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि स्त्रियों को संघ में प्रवेश का अधिकार प्राप्त था तथा उन्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। संयुक्त निकाय में भगवान बुद्ध का कथन मिलता है कि कभी-कभी पुत्री, पुत्र से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध हो सकती है। जैन साहित्य में भी विधवा विवाह एवं स्त्रियों की सामाजिक सहभागिता के प्रमाण मिलते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि इस काल में नारी की स्थिति में कुछ सुधार हुआ था।[ii]

इन समस्त स्रोतों के अतिरिक्त, प्राचीन भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था के अध्ययन हेतु अर्थशास्त्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक ग्रंथ है। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ने इस ग्रंथ में राज्य व्यवस्था, प्रशासन, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक जीवन के विविध पक्षों का अत्यंत व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अर्थशास्त्र का विशेष महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह केवल एक राजनीतिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह उस समय के सामाजिक-आर्थिक जीवन का भी व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों किसान, व्यापारी, श्रमिक तथा स्त्रियों की स्थिति का विस्तृत वर्णन मिलता है। विशेष रूप से स्त्रियों की आर्थिक भूमिका, उनके अधिकार, आय के स्रोत एवं राज्य द्वारा उनके संरक्षण के उपायों का उल्लेख इस ग्रंथ को अत्यंत महत्वपूर्ण बना देता है।[iii] कौटिल्य के अनुसार, समाज में स्त्रियों को केवल पारिवारिक दायरे तक सीमित नहीं रखा गया था, बल्कि उन्हें आर्थिक इकाई के रूप में भी मान्यता दी गई थी। अर्थशास्त्र में स्त्रीधन की अवधारणा का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो यह दर्शाता है कि स्त्रियों को संपत्ति रखने का अधिकार प्राप्त था। विवाह के समय प्राप्त धन, आभूषण एवं अन्य उपहार स्त्री की व्यक्तिगत संपत्ति माने जाते थे, जिन पर उसका पूर्ण अधिकार होता था। इसके अतिरिक्त, अर्थशास्त्र में स्त्रियों के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायों एवं आजीविका के साधनों का भी उल्लेख मिलता है। स्त्रियाँ सूत कातने, वस्त्र निर्माण, सेवा कार्य, मनोरंजन, गुप्तचर कार्य तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में संलग्न थीं। विशेष रूप से विधवा, वृद्धा एवं आश्रित स्त्रियों के लिए राज्य द्वारा रोजगार की व्यवस्था की गई थी, जो यह दर्शाता है कि उस समय

सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा भी विद्यमान थी। कौटिल्य का दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक एवं राज्य-केंद्रित था। उन्होंने स्त्रियों की आर्थिक गतिविधियों को न केवल मान्यता दी, बल्कि उनके संरक्षण एवं नियमन के लिए स्पष्ट नियम भी निर्धारित किए। उदाहरणार्थ, यदि किसी कार्यरत स्त्री के साथ अन्याय या शोषण होता था, तो दोषी को दंडित करने का प्रावधान था। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सक्रिय भूमिका निभाता था। हालाँकि, यह भी सत्य है कि अर्थशास्त्र में वर्णित नारी की स्थिति पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थी। समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसके कारण स्त्रियों की स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएँ भी थीं। फिर भी, यह कहा जा सकता है कि कौटिल्य का दृष्टिकोण अन्य समकालीन धर्मशास्त्रकारों की अपेक्षा अधिक उदार एवं व्यावहारिक था।[iv] इस प्रकार, कौटिल्य का अर्थशास्त्र नारी की आर्थिक स्थिति के अध्ययन हेतु एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करता है। यह ग्रंथ न केवल स्त्रियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन करता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि मौर्यकालीन समाज में स्त्रियाँ आर्थिक जीवन का एक अभिन्न अंग थीं।

साहित्य समीक्षा

प्राचीन भारतीय समाज में नारी की स्थिति के अध्ययन हेतु विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों ने अनेक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। नारी की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए वैदिक, उत्तरवैदिक, बौद्ध, जैन एवं मौर्यकालीन स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। इस संदर्भ में विद्वानों ने यह स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक समाज में स्त्रियाँ आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत स्वतंत्र थीं तथा उत्पादन प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाती थीं।

रामशरण शर्मा के अनुसार प्राचीन भारत के प्रारंभिक चरण में स्त्रियाँ कृषि, पशुपालन तथा हस्तशिल्प कार्यों में संलग्न थीं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी। वे उत्पादन के साधनों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी थीं, जिसके कारण उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त थी।[v]

इसी प्रकार डी. डी. कोसांबी ने यह प्रतिपादित किया है कि जैसे-जैसे कृषि आधारित स्थायी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, वैसे-वैसे मातृसत्तात्मक व्यवस्था का पतन हुआ और पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रभुत्व स्थापित हुआ। इसके परिणामस्वरूप स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता में कमी आई तथा वे धीरे-धीरे पुरुषों पर निर्भर होती चली गईं।[vi]

धर्मशास्त्रीय परंपरा में विशेषतः *मनुस्मृति* जैसे ग्रंथों ने स्त्रियों की स्थिति को सीमित करने का कार्य किया। इन ग्रंथों में स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया तथा उन्हें सामाजिक रूप से पुरुष के अधीन माना गया। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तरवैदिक एवं धर्मशास्त्रीय काल में स्त्रियों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय गिरावट आई।[vii]

इन परंपराओं के विपरीत, अर्थशास्त्र में कौटिल्य का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत व्यावहारिक एवं उदार प्रतीत होता है। कौटिल्य ने स्त्रियों को केवल आश्रित नहीं माना, बल्कि उन्हें आर्थिक इकाई के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने स्त्रीधन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए स्त्रियों के संपत्ति अधिकारों को मान्यता प्रदान की।[viii]

के. ए. नीलकंठ शास्त्री का मत है कि मौर्यकालीन प्रशासन में आर्थिक संगठन अत्यंत सुदृढ़ था, जिसमें स्त्रियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। राज्य द्वारा विभिन्न व्यवसायों में स्त्रियों की सहभागिता सुनिश्चित की गई थी तथा उनके श्रम का नियमन किया जाता था।[ix]

इसी प्रकार रोमिला थापर ने यह प्रतिपादित किया है कि मौर्यकाल में स्त्रियों की स्थिति न तो पूर्णतः स्वतंत्र थी और न ही पूर्णतः निर्बल। वे राज्य की आर्थिक नीतियों के अंतर्गत कार्य करती थीं तथा उनके लिए संरक्षण एवं नियंत्रण दोनों प्रकार की व्यवस्थाएँ विद्यमान थीं।[x]

अर्थशास्त्र में स्त्रियों के विविध व्यवसायों—जैसे सूत कातना, गणिका कार्य, गुप्तचर सेवा, रंगोपजीविनी आदि—का उल्लेख यह दर्शाता है कि स्त्रियाँ आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न थीं। यह भी स्पष्ट होता है कि राज्य द्वारा उनके श्रम का उपयोग केवल उत्पादन तक सीमित नहीं था, बल्कि प्रशासनिक एवं गुप्तचर कार्यों में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी।[xi]

साथ ही, कौटिल्य ने स्त्रियों के संरक्षण हेतु कठोर नियम भी निर्धारित किए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे स्त्रियों के आर्थिक अधिकारों के प्रति सजग थे। विशेष रूप से दासियों एवं आश्रित स्त्रियों के लिए बनाए गए नियम उनके प्रति राज्य की उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं।[xii]

इस प्रकार, उपलब्ध साहित्य के समग्र अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ एक ओर धर्मशास्त्रों में स्त्रियों की स्थिति सीमित एवं निर्भर दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर अर्थशास्त्र में उनका स्वरूप अधिक व्यावहारिक, संगठित एवं आंशिक रूप से स्वतंत्र दिखाई देता है।

स्त्री धन

प्राचीन भारतीय समाज में स्त्रीधन की अवधारणा नारी की आर्थिक स्थिति को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करती है। विशेष रूप से अर्थशास्त्र में स्त्रीधन का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों को सीमित किन्तु महत्वपूर्ण आर्थिक अधिकार प्राप्त थे। कौटिल्य के अनुसार स्त्रीधन वह संपत्ति थी, जो स्त्री को विवाह के समय उसके माता-पिता, संबंधियों अथवा पति द्वारा उपहारस्वरूप प्रदान की जाती थी। यह संपत्ति आभूषण, नगद धन, वस्त्र तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के रूप में होती थी। स्त्रीधन का मुख्य

उद्देश्य स्त्री को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना था, जिससे वह विपरीत परिस्थितियों में अपने भरण-पोषण की व्यवस्था कर सके।[xiii]

अर्थशास्त्र में स्त्रीधन को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है।

1. **वृत्ति** – **यह वह धनराशि थी, जो स्त्री के नाम से सुरक्षित रखी जाती थी। कौटिल्य के अनुसार इसकी न्यूनतम सीमा** 2000 **कार्षापण निर्धारित थी।**
2. **आबध्य** – **इसमें स्वर्ण, रजत, मोती आदि के आभूषण सम्मिलित थे, जिनकी कोई निश्चित सीमा नहीं थी।**[xiv]

स्त्रीधन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस पर स्त्री का पूर्ण अधिकार माना जाता था। पति अथवा परिवार के अन्य सदस्य इस संपत्ति का उपयोग बिना स्त्री की अनुमति के नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि पुत्र रहित स्त्री को यह अधिकार प्राप्त था कि वह अपने स्त्रीधन को अपनी पुत्री में विभाजित कर सके।[xv]

कौटिल्य ने स्त्रीधन की सुरक्षा हेतु कठोर नियम भी निर्धारित किए। यदि कोई व्यक्ति स्त्रीधन का अनुचित उपयोग करता था अथवा उस पर अधिकार करने का प्रयास करता था, तो उसके लिए दंड का प्रावधान था। यह व्यवस्था स्त्रियों के आर्थिक अधिकारों की रक्षा हेतु राज्य की सक्रिय भूमिका को दर्शाती है।[xvi]

यद्यपि स्त्रीधन नारी की आर्थिक स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण साधन था, फिर भी यह पूर्ण आर्थिक स्वायत्तता का प्रतीक नहीं था, क्योंकि समाज की पितृसत्तात्मक संरचना के कारण स्त्रियाँ कई मामलों में पुरुषों पर निर्भर रहती थीं। तथापि, स्त्रीधन की अवधारणा यह स्पष्ट करती है कि प्राचीन भारतीय समाज में स्त्रियों को आर्थिक रूप से पूर्णतः अधिकारविहीन नहीं माना गया था, बल्कि उन्हें एक सीमित किन्तु संरक्षित आर्थिक पहचान प्रदान की गई थी।

अर्थशास्त्र में स्त्री व्यवसाय:

कामकाजी स्त्रियों के लिए स्वतंत्र रूप से आजीविका हेतु विभिन्न व्यवसाययों की चर्चा अर्थशास्त्र में मिलती है।

सूत कातने वाली स्त्रियां

अर्थशास्त्र में सूत कातने का कार्य विशेष रूप से आर्थिक रूप से निर्बल एवं आश्रित स्त्रियों—जैसे विधवा, वृद्धा, विकलांग, अविवाहित कन्याएँ तथा परित्यक्ता स्त्रियाँ—के लिए आजीविका के प्रमुख साधन के रूप में वर्णित किया गया है। कौटिल्य के अनुसार यह कार्य राज्य के संरक्षण एवं नियंत्रण में संचालित होता था, जिससे स्त्रियों को नियमित रोजगार उपलब्ध हो सके। स्त्रियाँ सूत कातने का कार्य राज्य की उद्योगशालाओं में अथवा अपने घरों पर करती थीं। उनकी मजदूरी

सूत की गुणवत्ता एवं मात्रा के आधार पर निर्धारित की जाती थी, जो श्रम के संगठित मूल्यांकन को दर्शाता है। कौटिल्य ने इन स्त्रियों के हितों की रक्षा हेतु कठोर नियम बनाए थे। यदि कोई कर्मचारी उनके साथ दुर्व्यवहार करता था, अनावश्यक संपर्क स्थापित करता था या समय पर वेतन नहीं देता था, तो उसे दंडित किया जाता था।[xvii]

गणिकाए तथा वेश्याएं:

अर्थशास्त्र में गणिकाओं तथा वेश्याओं का विस्तृत एवं संगठित वर्णन मिलता है, जो उस समय की शहरी अर्थव्यवस्था एवं राज्य नियंत्रण को स्पष्ट करता है। कौटिल्य ने इन स्त्रियों को मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित किया है—राजकीय गणिकाएँ, रूपाजीवा (स्वतंत्र वेश्याएँ) तथा पेशलरूपा (मदिरालयों में कार्यरत स्त्रियाँ)। राजकीय गणिकाएँ राज्य के अधीन कार्य करती थीं और उन्हें निश्चित वेतन प्राप्त होता था। प्रधान गणिका को उच्च वेतन दिया जाता था तथा अन्य गणिकाओं को भी नियत पारिश्रमिक मिलता था। वृद्धावस्था में उनके लिए वैकल्पिक कार्यों की व्यवस्था की जाती थी, जिससे उनका जीवन सुरक्षित रह सके। रूपाजीवा वे स्त्रियाँ थीं, जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थीं, किन्तु उनकी आय पर राज्य द्वारा कर लगाया जाता था। उनके कार्य एवं निवास स्थान भी राज्य द्वारा नियंत्रित होते थे। पेशलरूपा स्त्रियाँ मदिरालयों में कार्य करती थीं तथा कई बार गुप्तचर के रूप में भी प्रयुक्त होती थीं। इस प्रकार गणिकाएँ एवं वेश्याएँ केवल सामाजिक संस्था नहीं थीं, बल्कि वे राज्य की आय एवं प्रशासनिक व्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण अंग थीं।[xviii]

राज प्रसाद की गणिकाएं: अर्थशास्त्र में राजप्रासाद की गणिकाओं का विशेष महत्व बताया गया है। ये गणिकाएँ राजा के मनोरंजन एवं दरबारी जीवन का अभिन्न अंग थीं तथा राज्य के अधीन कार्य करती थीं। प्रधान गणिका को उच्च स्थान प्राप्त था और उसे लगभग एक हजार पण वार्षिक वेतन दिया जाता था, जबकि अन्य गणिकाओं को भी निश्चित पारिश्रमिक प्रदान किया जाता था। कौटिल्य ने इन गणिकाओं के लिए सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख किया है, जिसमें उनकी नियुक्ति, वेतन तथा कार्यों का नियमन राज्य द्वारा किया जाता था। वृद्धावस्था में इन गणिकाओं को अपमानजनक जीवन से बचाने हेतु कोष्ठागारों, पाठशालाओं अथवा अन्य संस्थानों में कार्य प्रदान किया जाता था। इस प्रकार राजप्रासाद की गणिकाएँ केवल मनोरंजन का साधन नहीं थीं, बल्कि वे राज्य व्यवस्था का एक संगठित एवं संरक्षित वर्ग थीं।[xix]

रूपाजीवा :

अर्थशास्त्र में रूपाजीवा उन स्त्रियों को कहा गया है, जो राज्य की प्रत्यक्ष सेवा से अलग स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करती थीं। यद्यपि वे स्वतंत्र रूप से कार्य करती थीं, तथापि उनका कार्य पूर्णतः राज्य के नियंत्रण एवं नियमन के अधीन था। कौटिल्य के

अनुसार रूपाजीवाओं के निवास एवं कार्यस्थल नगर के निश्चित भागों—विशेषतः पकवान, सुरा एवं मांस की दुकानों के समीप—निर्धारित किए जाते थे। उनकी आय पर राज्य द्वारा कर लगाया जाता था, जो सामान्यतः उनकी दैनिक आय के आधार पर निर्धारित होता था। इसके अतिरिक्त, राज्य द्वारा एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जो उनकी आय, गतिविधियों तथा सुरक्षा पर निगरानी रखता था।[xx] **रूपाजीवा न केवल आर्थिक गतिविधियों का एक अंग थीं, बल्कि वे राज्य के राजस्व का भी महत्वपूर्ण स्रोत थीं।**

पेशलरुपा : अर्थशास्त्र में वेश्याओं के एक विशिष्ट वर्ग के रूप में पेशलरूपा का उल्लेख मिलता है। ये स्त्रियाँ मुख्यतः पानागारों अथवा मदिरालयों में ग्राहकों की सेवा हेतु नियुक्त की जाती थीं। इनका कार्य केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं था, बल्कि वे राज्य की आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में भी योगदान देती थीं। कौटिल्य के अनुसार पेशलरूपा स्त्रियाँ राज्य के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत थीं, क्योंकि इनके माध्यम से कर एवं अन्य शुल्क प्राप्त होते थे। इसके अतिरिक्त, इन स्त्रियों का उपयोग गुप्तचर के रूप में भी किया जाता था। वे ग्राहकों से संवाद स्थापित कर महत्वपूर्ण सूचनाएँ एकत्रित करती थीं, जिससे राज्य को आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा में सहायता मिलती थी। पेशलरूपा केवल सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि वे राज्य की राजस्व एवं गुप्तचर प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग थीं।[xxi]

धनुर्धारिणी एवं परिचारिकाएं :

अर्थशास्त्र में स्त्रियों को केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सुरक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। धनुर्धारिणी स्त्रियाँ विशेष रूप से राजा की निकटतम सुरक्षा के लिए नियुक्त की जाती थीं। कौटिल्य के अनुसार राजा के आसपास पुरुष सेवकों का प्रवेश सीमित रखा जाता था, अतः उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा का दायित्व सशस्त्र स्त्रियों को सौंपा जाता था। ये स्त्रियाँ अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होकर राजा के साथ रहती थीं, विशेषकर आखेट अथवा यात्रा के समय। इसके अतिरिक्त, परिचारिकाएँ राजा की दैनिक सेवाओं एवं राजकीय कार्यों में सहयोग करती थीं। वे राजप्रासाद के आंतरिक प्रबंधन, सेवा तथा व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। धनुर्धारिणी एवं परिचारिकाएँ यह दर्शाती हैं कि अर्थशास्त्र में स्त्रियों को केवल घरेलू भूमिका तक सीमित न रखकर उन्हें राज्य की सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्था का भी अभिन्न अंग माना गया था।[xxii]

गुढाजीवा : अर्थशास्त्र में गूढ़ाजीवा उन स्त्रियों को कहा गया है, जिन्हें राज्य की गुप्तचर व्यवस्था में नियुक्त किया जाता था। कौटिल्य ने स्त्रियों की चतुरता, अनुकूलन क्षमता एवं सामाजिक पहुँच को ध्यान में रखते हुए उन्हें गुप्तचर कार्यों के लिए अत्यंत उपयुक्त माना। इन स्त्रियों में परिव्राजिका, दासी, भिक्षुणी, नर्तकी आदि विभिन्न वर्ग सम्मिलित थे, जो भिन्न-भिन्न वेश धारण

कर समाज के विभिन्न स्तरों में प्रवेश कर सकती थीं। उनका मुख्य कार्य शत्रु की गतिविधियों पर निगरानी रखना, गुप्त सूचनाएँ एकत्रित करना तथा राज्य को समय-समय पर जानकारी देना था। कौटिल्य के अनुसार इनका उपयोग केवल सूचना संग्रह तक सीमित नहीं था, बल्कि वे शत्रु को भ्रमित करने, षड्यंत्रों का पता लगाने तथा राज्य की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी सहायक होती थीं। इस प्रकार गूढ़ाजीवा स्त्रियाँ मौर्यकालीन प्रशासन एवं कूटनीति का एक महत्वपूर्ण अंग थीं।[xxiii]

रंगोपजीवनी:

अर्थशास्त्र में रंगोपजीविनी उन स्त्रियों को कहा गया है, जो नाट्य, संगीत एवं अभिनय के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करती थीं। ये स्त्रियाँ रंगमंचीय गतिविधियों में संलग्न होकर समाज में मनोरंजन का प्रमुख साधन प्रदान करती थीं। कौटिल्य के अनुसार रंगोपजीविनियों का कार्य केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं था, बल्कि राज्य की आवश्यकतानुसार उनका उपयोग गुप्तचर एवं कूटनीतिक कार्यों में भी किया जाता था। वे अपने अभिनय कौशल एवं सामाजिक संपर्कों के माध्यम से शत्रु पक्ष की सूचनाएँ प्राप्त करने, उन्हें भ्रमित करने अथवा विशेष परिस्थितियों में राज्य के हित में कार्य करने में सक्षम थीं।[xxiv] **रंगोपजीविनी स्त्रियाँ सांस्कृतिक जीवन के साथ-साथ प्रशासनिक एवं गुप्तचर व्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण अंग थीं, जो मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की बहुआयामी भूमिका को स्पष्ट करती हैं।**

दासियां :

अर्थशास्त्र में दासियों का उल्लेख उन स्त्रियों के रूप में मिलता है, जो आर्थिक रूप से अत्यंत निर्बल स्थिति में थीं तथा जिन्हें तत्कालीन प्रथा के अनुसार क्रय-विक्रय या गिरवी रखा जा सकता था। दासियों का कार्य प्रायः गृहस्थ सेवा, राजकीय कार्यों अथवा अन्य श्रमसाध्य कार्यों से संबंधित होता था। उनकी स्थिति सामाजिक दृष्टि से निम्न एवं शोषणपूर्ण थी, जहाँ उन्हें शारीरिक एवं मानसिक अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। किन्तु कौटिल्य ने दासियों के संरक्षण हेतु अनेक महत्वपूर्ण नियम निर्धारित किए। यदि कोई स्वामी दासी के साथ दुर्व्यवहार करता था, उसके साथ अनुचित व्यवहार करता था अथवा उसके स्त्रीत्व का हनन करता था, तो उसके विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान था। यहाँ तक कि ऐसे मामलों में दासी को मुक्त करने तथा स्वामी द्वारा दिया गया धन भी जब्त करने की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार, यद्यपि दासियों की स्थिति दयनीय थी, फिर भी अर्थशास्त्र में उनके अधिकारों एवं संरक्षण हेतु राज्य द्वारा नियमन की स्पष्ट व्यवस्था दिखाई देती है, जो उस समय की सामाजिक संवेदनशीलता को दर्शाती है।[xxv]

निष्कर्ष:

कौटिल्य अर्थशास्त्र की उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन समाज में स्त्रियां आर्थिक

रूप से मुख्यतः पुरुषों के अधीन ही थी तथा उनके जीवन निर्वाह के साधन के रूप में विवाह सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन था यद्यपि ऐसी स्त्रियों की संख्या कम नहीं थी जो स्वतंत्र रूप से आजीविका कमाती थी ।कामकाजी स्त्रियों विषय में कौटिल्य अर्थशास्त्र में नारी की आर्थिक स्थिति को व्यावहारिक सामाजिक और कुछ हद तक स्वतंत्रता देने वाले दृष्टिकोण से देखा जाता है ।कौटिल्य ने समाज और अर्थव्यवस्था में स्त्रियों की भूमिका को केवल पारिवारिक दायरे तक सीमित नहीं रखा बल्कि उन्हें आर्थिक इकाई के रूप में मान्यता दी स्त्रियों के लिए जहां आय के स्रोत के रूप में विभिन्न रोजगारों का उल्लेख किया वहीं उन श्रमिक स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य द्वारा व्यवस्था की गई। व्यवसायिक स्त्रियों के लिए बाजार में नियम और सुरक्षा की व्यवस्था भी राज्य की नीतियों से निर्धारित की गई। परंतु अगर निष्कर्ष रूप में सोचे तो महिलाओं की स्थिति अत्यधिक सुखद नहीं थी और यह खेद की बात है की आज भी हमारे समाज में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं ऐसी परिस्थितियों में हमें महिलाओं के लिए संविधान में प्रदत्त अधिकारों की अनुपालन कर सामाजिक न्याय को स्थापित करते हुए समानता आधारित आदर्श समाज की स्थापना करनी चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ एवं टिप्पिणियाँ

---

[i] रामशरण शर्मा, *प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास*, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005, पृ. 112।
[ii] जैन आगम, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2009, पृ. 156।
[iii] कौटिल्य, *अर्थशास्त्र*, अनुवादक: आर. शमशास्त्री, मैसूर गवर्नमेंट प्रेस, 1915, पृ. 12।
[iv] कौटिल्य, *अर्थशास्त्र*, अनुवादक: आर. शमशास्त्री, पूर्वोद्धृत, पृ. 189।
[v] रामशरण शर्मा, *प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास*, पूर्वोद्धृत, पृ. 115।
[vi] डी. डी. कोसांबी, *प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता*, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1998, पृ. 78।
[vii] *मनुस्मृति*, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, 2012, पृ. 134।
[viii] कौटिल्य, *अर्थशास्त्र*, अनुवादक: आर. शमशास्त्री, पूर्वोद्धृत, पृ. 142।
[ix] के. ए. नीलकंठ शास्त्री, *प्राचीन भारत का इतिहास*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, 1975, पृ. 215।
[x] रोमिला थापर, *अशोक और मौर्य साम्राज्य*, ओरिएंट ब्लैकस्वान, हैदराबाद, 2000, पृ. 102।
[xi] कौटिल्य, *अर्थशास्त्र*, अनुवादक: आर. शमशास्त्री, पूर्वोद्धृत, पृ. 178।
[xii] कौटिल्य, *अर्थशास्त्र*, अनुवादक: आर. शमशास्त्री, पूर्वोद्धृत, पृ. 189।
[xiii] कौटिल्य, *अर्थशास्त्र*, अनुवादकशमशास्त्री .आर :, पूर्वोद्धृत, पृ .142।
[xiv] कौटिल्य, *अर्थशास्त्र*, अनुवादकशमशास्त्री .आर :, पूर्वोद्धृत, पृ .145।
[xv] कौटिल्य, *अर्थशास्त्र*, अनुवादक .आर :शमशास्त्री, पूर्वोद्धृत, 147।
[xvi] कौटिल्य, *अर्थशास्त्र*, अनुवादकशमशास्त्री .आर :, पूर्वोद्धृत, पृ .189।
[xvii] कौटिल्य, *अर्थशास्त्र*, अनुवादकशमशास्त्री .आर :, पूर्वोद्धृत, , पृ. 178।
[xviii] कौटिल्य, *अर्थशास्त्र*, अनुवादकशमशास्त्री .आर :, पूर्वोद्धृत, पृ. 201।
[xix] कौटिल्य, *अर्थशास्त्र*, अनुवादकशमशास्त्री .आर :, पूर्वोद्धृत, पुस्तक 1, अध्याय 27, पृ .201।
[xx] कौटिल्य, *अर्थशास्त्र*, अनुवादकशमशास्त्री .आर :, पूर्वोद्धृत, पृ .203।
[xxi] कौटिल्य, *अर्थशास्त्र*, अनुवादकशमशास्त्री .आर :, पूर्वोद्धृत, .204।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 16 Issue 02, February 2026,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

[xxii] **कौटिल्य**, ***अर्थशास्त्र***, **अनुवादकशमशास्त्री .आर :**, **पूर्वोद्धृत**, **पुस्तक** 1, **अध्याय** 21, **पृ .**67**।**

[xxiii] **कौटिल्य**, ***अर्थशास्त्र***, **अनुवादकशमशास्त्री .आर :**, **पूर्वोद्धृत**, , **पुस्तक** 1, **अध्याय** 11–12, **पृ .**46–52**।**

[xxiv] **कौटिल्य**, ***अर्थशास्त्र***, **अनुवादकशमशास्त्री .आर :**, **पूर्वोद्धृत**, , **पुस्तक** 2, **अध्याय** 27, **पृ .**228**।**

[xxv] **कौटिल्य**, ***अर्थशास्त्र***, **अनुवादकशमशास्त्री .आर :**, **पूर्वोद्धृत**, **पुस्तक** 3, **अध्याय** 13, **पृ .**189–190**।**